संख्या- **928**/2024/2855/41-1-2024- सी0एन0-1843458-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश**,** लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: **04** दिसम्बर, 2024

विषय:-मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गतजनपद चित्रकूट स्थित मडफा में विद्युतिकरण एवं शेड का निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5366/मु0प0वि0स0यो0/96-चित्रकूट/2023-24, दिनांक 15-10-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गतजनपद चित्रकूट स्थित मडफा में विद्युतिकरण एवं शेड का निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा धनराशि रू0 27.54 लाख का संशोधित आगणन उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट स्थित मडफा में शेड का निर्माण कार्य हेतु पर्यटन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-199/2024/358/41-1-2024-001-सी0एन0-1785811-2024, दिनांक 26-02-2024 द्वारा धनराशि रू0 14.96 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 05.00 लाख व जनपद चित्रकूट स्थित मडफा में विद्युतिकरण का कार्यहेतु शासनादेश संख्या–407/2024/954/41-1-2024-001-CN-1798783-2024, दिनांक 16-03-2024 द्वारा धनराशि रू0 12.58 लाख(जी0एस0टी0 सहित) कीप्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतितथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 0.75 लाख व शासनादेश संख्या-619/2024/1568 (1)/41-1-2024-001-सीएन-1798783-2024, दिनांक 29-06-2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में 04.00 लाख की धनराशि, अर्थात उक्त दोनों परियोजनाओं हेतु अब तक कुल धनराशि रू0 09.75 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किउक्त प्रस्तर-2 में अंकित दोनो परियोजनाओं हेतु शासनादेश दिनांक 26-02-2024द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 05.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक 16-03-2024 द्वारा धनराशि रू0 0.75 लाख व शासनादेश दिनाक 29-06-2024 द्वारा 04.00 लाख अर्थात अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 09.75 लाख को मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गतजनपद चित्रकूट स्थित मडफा में विद्युतिकरण एवं शेड का निर्माण कार्य की परियोजना में समाहित करते हुए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गतजनपद चित्रकूटस्थित मडफा में विद्युतिकरण एवं शेड का निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 27.54 लाख (जी0एस0टी0 सहित)(50 प्रतिशत की धनराशि रू0 13.77लाख पर्यटन विभाग द्वारा तथा 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 13.77 लाखमाननीय विधायक-236, सदर-चित्रकूट के सहमति पत्र के अनुसार विधायक निधि के माध्यम से)की पुनरीक्षित प्रशासकीयएवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिबन्धों के अधीन
श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग के शासनादेश दिनांक 26-02-2024, दिनांक 16-03-2024 एवं दिनांक 29-06-2024में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत परियोजना हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक04 मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित कियाजायेगा।

(3)प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्थाको वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाद्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्थासे प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6)प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(7)प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाकी होगी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशिप्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्थासे कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया गया।

(9)कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)प्रश्नगत परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा।

(11)महानिदेशक**,** पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षितलेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(12)सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(**UPNEDA**)** से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-12-2018/बी-2-856/दस-2018-2017, दिनांक 15जून, 2018 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024**,**
दिनांक04 मार्च**,** 2024में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक**,** उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(**UPNEDA**)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-5, 6, 7 व 9 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूटधाम मण्डल, चित्रकूट।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।